

क्रमांक एवं आदेश
की तिथि

१

अपर समाहर्ता, का न्यायालय साहेबगंज
R.M.A वाद सं०-08/2021-22

आदेश पर की
गई कार्यवाही के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

२

३

श्रवण मंडल वगैरह - यादी

बनाम

गोपाल मंडल वगैरह

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज - प्रतिवादी

प्रस्तुत वाद की सुनवाई उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में प्रारंभ की गई और दिनांक - 23.11.2021 को अपर समाहर्ता का न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित की गई संबंधित वाद मौजा - सोतीचौकी खुटहरी, थाना नं० - 54 , जमाबंदी नं० - 56 अंतर्गत दाग नं० - 120,543,02,76,07 कुल रकवा 98 बीघा 14 कट्ठा 2 धूर जमीन अर्न्तगत भू-अर्जन में मुआवजा भुगतान से संबंधित है।

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना नं०	जमाबंदी सं०	दाग सं०	रकवा
सोतीचौकी खुटहरी	54	56	120	6.870 एकड़
			543	0.370 एकड़
			02	0.870 एकड़
			76	5.793 एकड़ + 12.40 एकड़
			07	2.800

उक्त भूमि खतियानी रैयत वासुदेव दास वो गुजर दास, पिता - रामअधीन दास वो सतीश चन्द्र दास पिता वसन्त दास के नाम से दर्ज है खतियान अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि का खतियानी रैयत क्रमशः वासुदेव दास, गुजर दास एवं सतीश चन्द्र दास है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा Note of Argument समर्पित किया गया है जिसके अनुसार कुल मुआवजा राशि खतियानी रैयतों के बीच एक तिहाई (1/3) भाग में बाँटकर भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से Note of Argument समर्पित नहीं

18/01/23

m

किया गया है। केवल सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा गया है। प्रतिवादी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वासुदेव दास एवं गुजर दास के पिता रामअधीन दास है। अतएव वर्णित भूमि का मुआवजा दो रैयत मानते हुए 50 % की राशि भुगतान करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता की दलील एवं समर्पित कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वासुदेव दास वो गुजर दास, पिता - रामअधीन दास अलग - अलग जमाबंदी रैयत है तथा उनके पिता रामअधीन दास वर्णित भूमि में जमाबंदी रैयत नहीं है

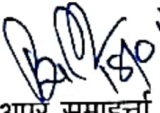
इसी प्रकार सतीश चन्द्र दास, पिता-बसंत दास अलग जमाबंदी रैयत है। अतएव स्पष्ट है कि वर्णित भूमि के तीन अलग - अलग रैयत है। अतएव वर्णित भूमि में सन्निहित रकवा का मुआवजा भुगतान दो भाग के स्थान पर तीन भाग में समान रूप से करने का आधार उचित प्रतीत होता है। विपक्षी की ओर से खतियान के आधार पर तीन समान भाग मुआवजा भुगतान के स्थान पर दो समान भाग में करने का दावा सक्षम न्यायालय के न्याय निर्णय से प्रभावी होगा।

वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्षों को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
साहेबगंज।


अपर समाहर्ता,
साहेबगंज।